इस्पात मंत्रालय पर निष्पादन लेखांकन रिर्पोट का सारांश

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) के कार्य व्यवहार के बड़े निष्कर्ष

- कम्पनी ने आरक्षित साख की सीमा को दो निजी पार्टियों को बिना उनके साख योग्य होने के बढ़ा दिया/विस्तारित कर दिया और क्रेडिट रेटिंग के मूल्यांकन और कम्पनी के निगरानी सेल को अनदेखा किया, जिसके फलस्वरूप 14.55 करोड़ रूपए की वसूली न हो पाई।
- एयर सेपरेशन इकाई में भारी तब्दीली न किए जाने के कारण कम्पनी को एक अतिरिक्त खर्च के रूप में 7.93 करोड़ रूपए बाह्य स्त्रोत से ऑक्सीजन की खरीद पर वहन करने पड़े।
- कम्पनी ने बिना वित्त की सुनिश्चितता किए रेलवे को चेक निर्गत किए (बैंको से), जिसके फलस्वरूप वे वापस लौट आए और व्यर्थ में सरचार्ज भुगतान के रूप में 15.46 करोड़ रूपए देने पड़े।
- बोकारो इस्पात संयंत्र में अनुपयुक्त योजना करके डी–डस्टिंग तंत्र की स्थापना से 4.92 करोड़ रूपए बेकार मे ही खर्च हुए।
- विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र से दो फर्नेसों को बोकारो इस्पात संयंत्र मे बिना तकनीकी आर्थिक परियोजना उपादेयता का मूल्यांकन किए हुए ले जाने से कम्पनी को 2.98 करोड़ रूपए का घाटा हुआ।
- कम्पनी ने एक निजी पार्टी से उच्च कीमतों पर बियरिंग खरीदा जिसका परिणाम उस पार्टी को अनुचित हामी देने से 1.65 करोड़ रूपए का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा।
- दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में लगे व्हील ओर एक्सल संयंत्र को कम प्रयुक्त किए जाने सेओर मशीनिंग कार्य बाह्य अभिकरणों से कराए जाने के कारण कम्पनी को 9.30 करोड़ रूपए का नुकसान उठाना पड़ा।
- कम्पनी को लाडल एडीशिव कम्पाउंड की खरीद में 92.76 लाख का घाटा हुआ क्योंकि एक निजी फर्म को रिपीट आर्डर देने में निविदा प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
- कम्पनी के अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले लाइम स्टोन के खदान जो कुटेश्वर में है को उपयोग में न लाकर जैसलमेर से लाइम स्टोन की खरीदारी किए जाने से 2000–01 और 2001–02 में कम्पनी को 37.32 करोड़ रूपए का नुकसान उठाना पड़ा।
- बोकारो इस्पात संयंत्र में 7.08 करोड़ रूपए की लागत से कम्प्यूटरीकृत कम्बसचन कंट्रोल सिस्टम की स्थापना की गई, लेकिन आपूर्तिकर्ता द्वारा इसमें आई खराबी को ठीक न किए जाने के कारण यह बेकार ही पड़ा हुआ है।
- सलेम इस्पात संयंत्र ने (मार्च/अप्रैल 2000 के दौरान) आरक्षित साख की मेसर्स मास्टर स्ट्रिप्स प्राइवेट लिमिटेड, बंगलौर को दे दिया जो कम्पनी के क्रेडिट पॉलिसी का उल्लंघन है और जिसके फलस्वरूप 3.97 करोड़ रूपए बकाया राशि की वसूली न हो पाई।
- सलेम इस्पात संयंत्र ने आरक्षित साख को दिसंबर 1999 से अप्रैल 2000 के दौरान मेसर्स साहिल स्टील ट्यूब्स प्राईवेट लिमिटेड बंगलौर को बिना उपभोक्ता के साख योग्य होने की जांच–पड़ताल किए बिना, कारपोरेट गारंटी और उत्तर तिथि चेक के आधार पर दे दिया। इसके फलस्वरूप 1.98 करोड़ रूपए की वसूली न हो पाई

(रिपोर्ट नं0 6, 2004)
व्यावसायिक

मिकॉन लिमिटेड के कामकाज की समीक्षा

- मीकॉन लि. को मई 1978 में धातु उपचारीय और अभियंत्रण कंसल्टेंट (इंडिया) लि. के रूप में स्थापित किया गा था। इसका मुख्य ध्येय सार्वजनिक क्षेत्र में आने वाले लौह और इस्पात उद्योगों के विकास में मदद करना और आगे चलकर अपने विविध क्रिया–कलापों के द्वारा बहु आयामी अभिकरण के रूप में स्थापित होते हुए पूर्ण अभियंत्रण प्रदान करना ओर निर्माण सेवाओं को प्राप्त करना था। कम्पनी फरवरी 2002 से बिना अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के और अपनी स्थापना के समय से ही बिना निदेशक (वित्त) के कार्य कर रहा है।

- 31 मार्च 2003 को समाप्त होने वाले सभी 5 वर्षों के दौरान कम्पनी को घाटा उठाना पड़ा।
- कम्पनी ने बोली लगाने में अनुमानों में गलत गणनाएं की और ऊंचे दामों पर कीमत को रखा, जिससे इसे कई बार नुकसान उठाना पड़ा। यह सिर्फ 38.83 प्रतिशत ओर 35.29 प्रतिशत क्रमशः कंसलटेंसी और रोजगार आपूर्ति कर पाया। यहां तक कि रोजगारों के कार्य करण में कम्पनी को 102.91 करोड़ का नुकसान कंसल्टेसी रोजगारों में ओर आपूर्ति रोजगारों में 48.95 करोड़ रूपए का नुकसान उठाना पड़ा। (31 मार्च 2003 को समाप्त होने वाले 5 वर्षों के दौरान इन रोजगारों के कार्यकरण में)

(रिपोर्ट नं0 6, 2004)
व्यावसायिक

हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंसट्रक्शन लि. के ऑफ–लोडिंग अनुबंधों की समीक्षा

- हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंसट्रक्शन लि. (कम्पनी) जून 1964 में पूरी तरह सरकार के स्वामित्व में निगमित कम्पनी के रूप में स्थापित की गई थी। जिसका मुख्य उद्देश्य स्वदेशी क्षमता का विकास करना और देश में ही इस्पात संयंत्रों को तैयार करने का माद्दा उत्पन्न करना था। 31 मार्च 2003 को समाप्त होने वाले सभी 5 वर्षों के दौरान कम्पनी को नुकसान उठाना पड़ा। 31 मार्च 2003 को कम्पनी का कुल बढ़ा हुआ नुकसान 982.54 करोड़ रूपए था।
- यद्यपि कम्पनी मुख्य रूप इस्पात संयंत्रों के निर्माण के लिए ही बनाई गई थी। यह इस्पात संयंत्रों से पर्याप्त रोजगार अवसरों को न पा सकी और कम्पनी ने सिविल कार्य के अन्य क्षेत्रों में जिम्मा उठा लिया। इस्पात संयंत्रों से प्राप्त ऑर्डर 16.6 प्रतिशत से 29.9 प्रतिशत के बीच रहे ओर कम्पनी द्वारा प्राप्त कुल ऑर्डर यद्यपि इस्पात संयंत्रों के लिए मानव–शक्ति 81.3 प्रतिशत से 86.7 प्रतिशत के बीच रही। प्रबंधन ने कार्यबल के पुनर्बहाली के लिए कोई कदम नहीं उठाया था।
- कम्पनी ने जिन कामों को प्राप्त किया था उसको अंजाम देने के लिए 91.6 प्रतिशत से 93.4 प्रतिशत कामों को ठेकेदारों द्वारा/दिहाड़ी मजदूरों द्वारा करवाया गया। जबकि बहुत मामूली सा हिस्सा विभागीय तौर करवाया गया। कार्य का आवंटन एकल निविदा आधार पर निजी पार्टियों को दिया गया और सिर्फ सीमित मात्रा में ही ठेकेदारों द्वारा खुली निविदा तंत्र के आधार पर किया गया था।

(रिपोर्ट नं0 6, 2004)
व्यावसायिक

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड

- राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. को व्यर्थ के सरचार्ज भुगतान के रूप में 1.67 करोड़ रूपए वहन करने पड़े क्योंकि यह सुचारू बिजली व्यवस्था को बनाए रखने में असफल रहा।
- इसे वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करने जो वन लगाने के भरपाई शुल्क के रूप में 1 करोड़ रूपए दंड का भागी बनना पड़ा।

(रिपोर्ट नं0 6, 2004)
व्यावसायिक

एमएसटीसी लिमिटेड

- अप्रैल 1997 में बिना किसी वित्तीय गारंटी के इसके द्वारा घाटे में चल रही राज्य सरकार की कम्पनी को माल बेचने से नुकसान हुआ क्योंकि बचे गए माल और उस पर ब्याज जो 8.49 करोड़ रूपए का था की वसूली न हो पाई।

(रिपोर्ट नं0 6, 2004)
व्यावसायिक

कुद्रेमुख आयरन अयस्क कम्पनी लि.

- कम्पनी को अतिरिक्त स्टोरेज क्षमता की स्थापना पर व्यर्थ में ही 1.2 करोड़ रूपए खर्च करने पड़े। इसके अतिरिक्त इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि. को 96.46 लाख रूपए सर्विस चार्ज के रूप में फिजूल में देने पड़े क्योंकि स्टोरेज टैंक तैयार करने में देरी हुई।

(रिपोर्ट नं0 6, 2004)
व्यावसायिक